(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–II में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 57/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 31 जनवरी, 2018

विषयः निर्यात मदों का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) 2018' [अनुसूची 2 आईटीसी (एचएस) 2018 की निर्यात नीति] की अधिसूचना।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की सं० 22) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा संलग्न 'निर्यात मदों के भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) 2018' [आईटीसी (एचएस) 2018 की अनुसूची–2 (निर्यात नीति)] की अनुसूची 2 (निर्यात नीति)] को अधिसूचित करती है।

2. आईटीसी (एचएस), 2018 की अनुसूची–2 में उल्लिखित मदों के लिए पूरी की जाने वाली नीतिगत शर्तों, यदि कोई हो, के साथ मौजूदा निर्यात नीति दर्शायी गई है। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर आईटीसी (एचएस), अनुसूची 2, निर्यात नीति, 2018 के शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

4. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

आईटीसी (एचएस), 2018 की अनुसूची–2 (निर्यात नीति) अधिसूचित की जाती है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/09/एएम 18/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)